न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट अजमेर

प्रार्थना पत्र संख्या 202 / 2019

शुभम हाउसिंग डवलपमेन्ट फाईनेन्स कम्पनी प्राईवेट लि0
शाखा कार्यालयः– 711 / 4, प्रथम तल, के0सी0 कॉम्प्लैक्स, दौलत बाग के सामने,
अजमेर (राज0)–305001 जरिये प्राधिकृत अधिकारी .....**प्रार्थी / सिक्योर क्रेडिटर**

बनाम

(1) श्री प्रेमनारायण शर्मा पुत्र श्री केदारनाथ शर्मा,
   (अ) 38 / 455, शिवचरण का बाडा, कायस्थ मौहल्ला, अजमेर (राज0)
   (ब) एएमसी नं0 635बी / 15, खसरा नं0 4254 का हिस्सा, पाल बिचला, चादर भगवानपुरा, अजमेर (राज.)–305001
(2) श्री सत्यप्रकाश पुत्र श्री केदारनाथ शर्मा,
   (अ) 474–26, गोविन्द नगर, रामगंज, अजमेर(राज.)–305001
   (ब) एएमसी नं0 635बी / 15, खसरा नं0 4254 का हिस्सा, पाल बिचला, चादर भगवानपुरा, अजमेर (राज0)–305001
(3) श्रीमती सुमन शर्मा पत्नि श्री केदारनाथ शर्मा,
   (अ) 38 / 455, शिवचरण का बाडा, कायस्थ मौहल्ला, अजमेर(राज0)
   (ब) एएमसी नं0 635बी / 15, खसरा नं0 4254 का हिस्सा, पाल बिचला, चादर भगवानपुरा, अजमेर (राज.)–305001

.....**अप्रार्थीगण / ऋणी**

प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 14 दी सिक्यूराईटेशन रिक्सट्क्शन आफ फाईनेनिशयल ऐसिटस एण्ड एनफोर्समेन्ट आफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002

उपस्थित :– श्री संजय सिंह राजावत — अभिभाषक प्रार्थी

आदेश — दिनांक 26.11.2019

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी कम्पनी ने अप्रार्थीगण श्री प्रेमनारायण शर्मा पुत्र श्री केदारनाथ शर्मा एवं श्री सत्यप्रकाश पुत्र श्री केदारनाथ शर्मा, निवासीः– 38 / 455, शिवचरण का बाडा, कायस्थ मौहल्ला, अजमेर(राज0) को दिनांक 15.07.2013 को रूपये 7,00,000 / –(अक्षरे सात लाख मात्र) की ऋण सुविधा स्वीकृत की थी। इस हेतु अप्रार्थीगण / ऋणी ने आवश्यक दस्तावेजात निष्पादित कर पाल बिचला, चादर भगवानपुरा, अजमेर स्थित खसरा नं0 4254 का हिस्सा, एएमसी नं0 635 बी / 15, क्षैत्रफल 100 वर्ग गज, जो श्री प्रेमनारायण शर्मा पुत्र श्री केदारनाथ शर्मा के नाम से है, जिसकी चतुर्थ सीमाएँ हैः– पूर्व मेंः– श्री दिलीप की सम्पत्ति, पश्चिम मेंः– श्री किशनलाल की सम्पत्ति, उत्तर मेंः– रास्ता, दक्षिण में– श्री दिलीप की सम्पत्ति, को बतौर जमानत प्रार्थी कम्पनी के पास बन्धक रखा था। अप्रार्थीगण नियमित रूप से प्रार्थी कम्पनी को उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सके और बकाया ऋण के भुगतान में व्यक्तिक्रम व चूक कर दी और दिनांक 16.02.2018 को डिफाल्टर हो गये। प्रार्थी कम्पनी द्वारा अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण / ऋणी को दिनांक 20.02.2018 को रजिस्टर्ड मांग नोटिस रूपये 6,83,329 / –(अक्षरे छः लाख तयासी हजार तीन सौ उन्तीस रूपये) का जारी किया

जिला मजिस्ट्रेट
अजमेर

Scanned by CamScanner

गया। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने में चूक की। ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का सम्पूर्ण कब्जा भी प्रार्थी कम्पनी को नहीं सम्भलाया है। प्रार्थी कम्पनी द्वारा The Securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of securities interest Act 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते में देय राशि के पुर्नभुगतान हेतु रहनशुदा सम्पति का कब्जा प्रार्थी कम्पनी को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक प्रार्थी प्रस्तुत किया गया।

अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया। अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये प्रकट किया कि अप्रार्थीगण ने उसके खाते में देय ऋण राशि मय ब्याज की राशि के भुगतान हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अर्न्तगत नोटिस प्राप्त करने के बावजूद भी प्रार्थी कम्पनी को जमा नहीं कराया है। उक्त अधिनियम की धारा 14 के अन्तर्गत प्रार्थी कम्पनी के पक्ष में उक्त रहन रखी सम्पति का अधिनियम के प्रावधान अनुसार कब्जा प्रार्थी कम्पनी को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुये प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी कम्पनी द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अर्न्तगत नोटिस जारी करने के पश्चात भी मांग की गई राशि का अप्रार्थीगण द्वारा भुगतान नहीं किया है। अतः The Securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of securities interest Act 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी कम्पनी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण ऋणी की ओर से प्रार्थी कम्पनी के पक्ष में बंधक सम्पति पाल बिचला, चादर भगवानपुरा, अजमेर स्थित खसरा नं0 4254 का हिस्सा, एएमसी नं0 635 बी/15, क्षैत्रफल 100 वर्ग गज, जो श्री प्रेमनारायण शर्मा पुत्र श्री केदारनाथ शर्मा के नाम से है, जिसकी चतुर्थ सीमाएँ हैः— पूर्व मेंः— श्री दिलीप की सम्पत्ति, पश्चिम मेंः— श्री किशनलाल की सम्पत्ति, उत्तर मेंः— रास्ता, दक्षिण में— श्री दिलीप की सम्पत्ति, का भौतिक कब्जा प्रार्थी कम्पनी द्वारा जरिये संबधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्त सम्पति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों में देय है तो संबंधित कम्पनी द्वारा वहन किया जायेगा। आदेश की प्रति प्रार्थी कम्पनी, पुलिस अधीक्षक, अजमेर को हस्ब कायदा जारी हो।

आदेश आज दिनांक 26.11.2019 को सुनाया गया।

(विश्व मोहन शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट
अजमेर

Scanned by CamScanner